संख्या– 1233/63–व0उ0–2022–17(एच)/2022

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2– आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,
उ0प्र0 कानपुर।

3– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग   लखनऊ : दिनांकः 17 अक्टूबर, 2022

विषय :– उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी–2022 का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी–2022 का निम्नानुसार प्रख्यापन किया जाता है :–

1. प्रस्तावना

भारतीय वस्त्र एवं परिधान का उत्कृष्ट शिल्प कौशल और वैश्विक आकर्षण का इतिहास रहा है। परंपरागत रूप से, भारत वस्त्रों का एक प्रमुख उत्पादक रहा है, और यहां उत्पादित कपास, रेशम और डेनिम विदेशों में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। भारतीय डिजाइन प्रतिभा के उदय के साथ, भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग को दुनिया भर के फैशन केंद्रों में सफलता मिली है।

मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर कच्चे माल और विनिर्माण आधार के साथ, भारत विश्व में वस्त्र एवं परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, तथा वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में 4% हिस्सेदारी रखता है। वस्त्र उद्योग अपने घरेलू हिस्से और निर्यात दोनों के मामले में अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। भारतीय वस्त्रों का औद्योगिक उत्पादन में लगभग 7%, सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% एवं देश की कुल निर्यात आय में 13% का योगदान है।

भारतीय वस्त्र उत्पादों को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। जैसा कि वैश्विक वस्त्र एवं परिधान व्यापार 2019 में रूपये 63 लाख करोड़ से 2025 तक रूपये 75 लाख करोड़ (1 ट्रिलियन अमरीकी डालर) तक पहुंचने की उम्मीद है, यह वस्त्र एवं परिधान उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। भारत के वस्त्र एवं परिधान निर्यात का लगभग 47 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा यूनाईटेड किंगडम को होता है।

पारंपरिक वस्त्रों के अतिरिक्त, तकनीकी वस्त्र नए अनुप्रयोगों के साथ एक उच्च विकास क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। तकनीकी वस्त्रों के लिए बाजार का विस्तार हो रहा है क्योंकि तकनीकी वस्त्र उत्पाद विभिन्न उद्योगों यथाः–कृषि, कपड़े, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, पैकेजिंग, खेल, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षात्मक वस्त्र एवं अन्य में प्रयुक्त किये जा रहे हैं। तकनीकी वस्त्र सेक्टर ने 2017–18 में 16.6 बिलियन अमरीकी डालर से 2020–21 में 28.7 बिलियन अमरीकी डालर तक 20 प्रतिशत की आशाजनक वृद्धि दिखाई है।

उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग को अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें प्रमुख वस्त्र और परिधान निर्यातक देशों के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

उत्तर प्रदेश में वस्त्रों की एक लंबी परंपरा है और यह देश के बेहतरीन बुनकरों का गृह क्षेत्र है। वाराणसी एवं मऊ से सिल्क साड़ियाँ; लखनऊ से चिकनकारी; लखनऊ, बरेली एवं शाहजहांपुर से जरी–जरदोजी; भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र से कालीन, सीतापुर से दरी तथा गौतमबुद्ध नगर एवं कानपुर के रेडीमेड गारमेंट्स पूरे देश की ताकत और गौरव हैं।

उत्तर प्रदेश परिधान और वस्त्रों के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है और युवा और प्रशिक्षित कार्यबल के सबसे बड़े केन्द्रो में से एक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों को ध्यान में रखते हुए श्रम की कम लागत, पानी और बिजली की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण वस्त्र एवं गारमेंटिंग क्षेत्र के लिये अनुकूल है।

वस्त्र क्षेत्र में मौजूद विकास की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश इस अवसर से लाभ उठाने के लिए आदर्श स्थिति में है। इस नीति का उद्देश्य एक मजबूत वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देकर और विकसित करना है जिससे रोजगार सृजन हो तथा वस्त्र एवं परिधान उद्योग के लिये उत्तर प्रदेश को सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में बनाया जा सके।

2. नीति के उद्देश्य एवं लक्ष्य

इस नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना तथा संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के सतत विकास को बढ़ावा देना है। नीति के विशिष्ट उद्देश्य हैं: –

a. टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना।

b. 5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।

c. 5 निजी वस्त्र और परिधान पार्कों का निर्माण।

d. हथकरघा और पावरलूम बुनकरों की आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि।

e. पावरलूमो का आधुनिकीकरण एवं सौर ऊर्जा के माध्यम से उनका संचालन।

f. राज्य के अन्दर रेशम धागा उत्पादन में वृद्धि करना।

3. सामान्य

3.1 उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी – 2022 उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे संशोधित या प्रतिस्थापित किए जाने तक लागू रहेगी।

3.2 राज्य की पिछली नीति उत्तर प्रदेश, हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी– 2017 के अन्तर्गत लाभ ले रही/पात्र इकाइयों को उस नीति के अन्तर्गत लाभ मिलता रहेगा।

3.3 इस नीति के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन/सुविधाएं TUFS योजना या भारत सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों/सुविधाओं के अतिरिक्त होंगी, जब तक कि इसका विशिष्ट खंड में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो।

3.4 इस नीति में वर्णित सुविधाएं वस्त्रोद्योग के अन्तर्गत स्थापित होने वाली नई वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाइयों के साथ–साथ नई प्लान्ट एवं मशीनरी में न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश कर विस्तारीकरण/विविधीकरण (इस खंड के बिंदु संख्या 3.6 के अनुसार) करने वाली इकाइयों पर भी लागू होगी।

3.5 नई इकाइयों का तात्पर्य उन वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाईयों से है, जिन इकाईयों द्वारा प्रस्तावित वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति–2022 के प्रख्यापन की तिथि के पश्चात राज्य में नया निवेश, नीति की अवधि में प्रारम्भ किया गया है एवं इकाई को "लेटर आफ कम्फर्ट" निर्गत होने के तीन वर्ष के अन्दर वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।

3.6 विस्तारीकरण/विविधीकरण की वे इकाईयॉ पात्र होंगी, जो स्थायी पूंजी निवेश (भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी, स्पेयर–पाट्‌र्स) के सकल मूल्य में न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश कर पूर्व की उत्पादन क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करती है तथा इकाई की विस्तारकृत/विविधीकृत अंग द्वारा "लेटर आफ कम्फर्ट" निर्गत होने के तीन वर्ष के अन्दर वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।

3.7 इस नीति के प्रयोजन के लिए एक नियोजित व्यक्ति/कर्मचारी का अभिप्राय स्थायी रोल पर अथवा अनुबंध पर अथवा निश्चित अवधि के अनुबंध पर काम करने वाला व्यक्ति (जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो) से है।

3.8 इस नीति के प्रावधानों के अनुसार किसी भी वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाई को देय वित्तीय सहायता इकाई के स्थायी पूंजी निवेश (भूमि, भवन, अन्य निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी तथा विविध अचल संपत्ति) के 100 प्रतिशत *की कुल धनराशि से* अधिक नहीं होगी। गौतमबुद्धनगर जनपद में स्थापित होने वाली इकाईयों हेतु यह सीमा 80 प्रतिशत होगी।

3.9 राज्य सरकार द्वारा इस नीति के अन्तर्गत देय समस्त प्रकार की कुल प्रस्तावित वित्तीय सुविधाओं पर कुल व्यय की सीमा रूपये 500 करोड़ प्रतिवर्ष होगी।

3.10 वस्त्र इकाई 'शब्द' निम्नलिखित विनिर्माण इकाइयों को निरूपित करेंगी। नीचे दिए गए सूचीबद्ध इकाइयों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की इकाइयां इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगी: –

a) रेशम उत्पादन (चाकी और कोया उत्पादन सहित), रीलिंग, हथकरघा।

b) कताई, बुनाई, निटिंग।

c) रंगाई, प्रसंस्करण, छपाई

d) गारमेंटिंग (परिधान निर्माण, कढ़ाई वाले कपड़े, मेड–अप, घरेलू वस्त्र, फैशन के सामान, लेदर गारमेन्ट एवं एसेसरीज)।
e) इम्ब्रोएडरी एवं इम्ब्रोएडर्ड फैब्रिक्स।
f) सभी प्रकार के तकनीकी वस्त्र और जूट उत्पाद,
g) सभी प्रकार के टेक्सटाइल फाइबर की प्री–स्पिनिंग प्रक्रियाएं:– (जिनिंग और प्रेसिंग प्रक्रिया, पॉलिएस्टर/विस्कोस/नायलॉन/एक्रिलिक स्टेपल फाइबर/फिलामेंट यार्न/पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर आदि)।
h) सभी प्रकार के टेक्सटाइल यार्न की पोस्ट स्पिनिंग प्रक्रियाएं :– (वाइंडिंग, ड्रॉइंग, ट्विस्टिंग, डबलिंग, रीलिंग, टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग, एंटंगलमेंट आदि) तथा समस्त प्रकार की प्री–वीविंग प्रोसेस (वारपिंग, साइजिंग आदि)।
i) मात्र पावरलूम पर निर्मित पी0पी0 मैट।
j) गैर बुने हुए (नॉन–वूवेन) वस्त्र।
k) विधिक रूप से प्रतिबन्धित उत्पादों की वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाईयों की स्थापना हेतु नीति में वर्णित सुविधाये देय नहीं होंगी।

3.11 उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी – 2022, की अधिसूचना के बाद पालिसी अवधि में किये गए निवेश इस नीति के अंतर्गत पात्र होंगे।

3.12 यदि किसी निवेशक के पास इस नीति की अधिसूचना से पूर्व भूमि उपलब्ध है, तो ऐसी इकाईयों को वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति–2022 के अन्तर्गत इकाई स्थापित करने पर नीति की सभी सुविधायें अनुमन्य की जायेंगी, परन्तु इकाई द्वारा भूमि या पूर्व से किये गये आंशिक निर्माण में किये गये निवेश को स्थायी पूंजी निवेश (FCI) के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। वह निवेशक इस नीति के तहत भूमि की लागत, स्टाम्प ड्यूटी एवं पूर्व से किये गये आंशिक निर्माण से संबंधित प्रोत्साहनों को छोड़कर अन्य प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा।

3.13 इस नीति के तहत प्लान्ट एवं मशीनरी के लिए सब्सिडी पर तभी विचार किया जाएगा, जब उक्त प्लान्ट एवं मशीनरी की खरीद के लिए बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण वितरण की तिथि इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तारीख को या उसके बाद पॉलिसी अवधि में की जाती है।

3.14 स्थायी पूँजी निवेशः– भूमि, भवन (प्रशासनिक भवन छोड़कर), विविध स्थायी निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी व संयंत्रों पर किया गया निवेश। स्थायी पूँजी निवेश के आगणन के अन्तर्गत भूमि के प्रभावी मूल्य के 10 प्रतिशत तक की ही गणना की जाएगी।

3.15 "पात्र पूँजी निवेश" का तात्पर्य ऐसे पूँजी निवेश से है जो किसी वस्त्र औद्योगिक उपक्रम द्वारा पालिसी की अवधि में किया गया हो एवं इकाई द्वारा "लेटर आफ कम्फर्ट" निर्गत होने के तीन वर्ष के अन्दर वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।

3.16 "निवेश की पात्र अवधि" का तात्पर्य इस पॉलिसी की अधिसूचना जारी होने की तारीख से शुरू होकर इस पॉलिसी की परिचालन अवधि तक की अवधि से होगा। सभी प्रकार के वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में, पॉलिसी की प्रभावी अवधि में निवेश किया गया हो एवं "लेटर आफ कम्फर्ट" निर्गत होने के तीन वर्ष के अन्दर इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।

3.17 "प्लान्ट एवं मशीनरी" का तात्पर्य नये स्वदेशी/आयातित यंत्र एवं संयंत्र से है, जिसमें उपकरण ह्यूमिडीफायर, जेनरेटिंग सेट, ब्वायलर, कैप्टिव पावर प्लान्ट, डाइज एवं मोल्डस, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा इकाई की प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र एवं संयंत्र से है, जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो। मशीनरी का ट्रांसपोर्टेशन, इरेक्शन, इन्स्टॉलेशन तथा इलेक्ट्रिफिकेशन को भी प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत में सम्मिलित किया जायेगा, यदि मशीनरी विक्रेता/सप्लायर द्वारा मशीनरी की लागत के साथ चार्ज किया जाता है। पुराने यंत्र–संयंत्र इत्यादि प्लान्ट एवं मशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

3.18 इस नीति के अन्तर्गत दी जा रही वित्तीय सुविधाओं का लाभ इकाई को तभी अनुमन्य होगा जब वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाई ने प्रदेश की किसी अन्य नीति के अन्तर्गत उसी मद में लाभ प्राप्त न किया हो।

4. इकाईयों हेतु प्रोत्साहन

4.1 भूमि लागत अनुदान

a) सरकारी संस्थाओं यथाः—औद्योगिक प्राधिकरणों/सरकारी विभागों एवं अन्य विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों के लिए भूमि कय पर अनुदान दिया जायेगा। इन सरकारी संस्थाओं से सीधे भूमि कय करने वाले निवेशकों को भूमि की लागत मूल्य का 25 प्रतिशत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। गौतमबुद्ध नगर जिले में यह सब्सिडी 15 प्रतिशत होगी। यह सब्सिडी कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी एवं कुल परियोजना लागत की गणना हेतु भूमि की प्रभावी कीमत का मात्र 10 प्रतिशत ही सम्मिलित किया जायेगा।

b) यह प्रतिपूर्ति उस स्थिति में की जाएगी जब इकाई भूमि कय के पांच वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करेगी। यह सब्सिडी उन निवेशकों को भी प्रदान की जाएगी जो लखनऊ/हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क के अंतर्गत वस्त्र इकाई स्थापित करने हेतु भूमि कय करते हैं। पी0एम0मित्र पार्क भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा सयुक्त रूप से गठित SPV के द्वारा संचालित किया जाएगा।

4.2 स्टाम्प ड्यूटी में छूट

राज्य या केंद्र सरकार या उनके उपक्रमों (निगम/परिषद/बोर्ड/कंपनी/संस्था) से कय की गयी अथवा लीज पर ली गई भूमि, शेड या औद्योगिक भवन निम्नानुसार स्टांप शुल्क से छूट (बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर) हेतु पात्र होंगे। इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के उपरांत सहायक आयुक्त, हथकरघा/उप आयुक्त, उद्योग विभाग तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण उपरांत बैंक गारंटी अवमुक्त कर दी जाएगी।

a) गौतमबुद्ध नगर जनपद को छोड़कर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाली वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों को स्टांप शुल्क की 100 प्रतिशत तथा गौतमबुद्ध नगर जनपद में स्थापित होने वाली वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों को स्टांप शुल्क की 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

b) राज्य के किसी भी हिस्से में वस्त्र उद्योग हेतु अवस्थापना सुविधाओं (यथा–एकीकृत परिवहन और वाणिज्यिक केंद्र, प्रदर्शनी केंद्र, गोदाम, जल–आपूर्ति, सीवेज लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) के विकास हेतु कय की गई भूमि पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी।

c) पीएम मित्र पार्क के विकासकर्ता को स्टांप शुल्क की 100 प्रतिशत छूट तथा निजी टेक्सटाइल पार्क /आस्थानों के विकासकर्ता को राज्य में (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर) भूमि के कय पर स्टाम्प शुल्क की 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी ।

d) पीएम मित्र पार्क में स्थापित होने वाले वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाई की स्थापना हेतु प्रथम खरीददार को भूमि कय करने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान कराई जाएगी तथा निजी क्षेत्र द्वारा विकसित टेक्सटाइल पार्क/आस्थान में वस्त्र एवं गारमेन्टिंग इकाई की स्थापना हेतु प्रथम खरीददार को भूमि कय करने पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

e) राज्य के किसी भी हिस्से में स्थापित होने वाली रेशम उत्पादन (चाकी एवं कोया उत्पादन), थ्रेडिंग इकाइयों को स्टाम्प शुल्क की 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

f) उपरोक्त सभी के लिए स्टाम्प शुल्क छूट की गणना भूमि कय की तिथि को प्रचलित सर्किल दरों पर आधारित होगी।

4.3 पूंजीगत उपादान

a. वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों को प्लांट और मशीनरी के क्रय पर किये गये निवेश पर 25 प्रतिशत पूंजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। उक्त के अतिरिक्त राज्य के पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों को 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूंजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रदान की जाएगी। पूंजीगत उपादान की अधिकतम सीमा रुपये 100 करोड़ प्रति यूनिट तक सीमित होगी।

<u>तालिका</u>

इकाई का स्तर	प्लान्ट एवं मशीनरी पर निवेश (करोड़ रूपये में)	न्यूनतम रोजगार सृजन	पूंजीगत उपादान का प्रतिशत	पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड में इकाईयों को अतिरिक्त पूंजीगत उपादान का प्रतिशत	पूंजीगत उपादान की अधिकतम सीमा (करोड़ रू0 में)
1	2	3	4	5	6
प्रथम	<=10	<50	15%	NIL	1.00
द्वितीय	<=10	50	25%	10%	2.00
तृतीय	>10 but <=50	200	25%	10%	10.00
चतुर्थ	>50 but <=100	300	25%	10%	20.00
पंचम	>100 but <=200	500	25%	10%	40.00
षष्ठम	>200	1000	25%	10%	100.00

b. उपर्युक्त तालिका के अनुसार यदि इकाई द्वारा "प्लांट एवं मशीनरी पर निवेश का स्तर" तथा "न्यूनतम रोजगार सृजन" का स्तर भिन्न–भिन्न हो, तो उस स्थिति में अपेक्षाकृत लघु स्तर के अनुसार पूंजीगत उपादान की वित्तीय सुविधा देय होगी। उदाहरणार्थ :–

i. यदि इकाई द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी पर किया गया निवेश रू0 80 करोड़ है, तो लागत के अनुसार इकाई का स्तर चतुर्थ होगा तथा रोजगार सृजन 100 है, तो रोजगार के अनुसार इकाई का स्तर द्वितीय होगा। इस प्रकार इकाई द्वारा "प्लांट एवं मशीनरी पर निवेश का स्तर" तथा "न्यूनतम रोजगार सृजन" का स्तर भिन्न–भिन्न होने पर अपेक्षाकृत लघु स्तर द्वितीय इकाई का प्रभावी स्तर होगा। तथा द्वितीय स्तर के संगत कालम–6 के अनुसार पूजींगत उपादान रू0 2 करोड़ तक सीमित होगा।

4.4 अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान

a) वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों को स्वयं के उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं (यथाः– i) सड़क, ii) जल आपूर्ति एवं जल निकासी, iii) विद्युत आपूर्ति (पावर लाइन, ट्रांसफार्मर आदि) के विकास हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 3 करोड़ प्रति इकाई की सीमा तक (रू0 1 करोड़ प्रति घटक की दर से) अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा। यह सब्सिडी केवल उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी जो अविकसित भूमि पर स्थापित की गई हैं।

b) इफ्लूएंट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (ईटीपी) एवं डीजी सेटों की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 05 करोड़ रुपये प्रति इकाई की सीमा तक अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा। ईटीपी एवं डीजी सेट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.), नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) अथवा भारत सरकार/उत्तर प्रदेश के किसी भी वैधानिक निकाय द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। यह सब्सिडी केवल उन इकाइयों को प्रदान की जाएगी जो अविकसित भूमि पर स्थापित की गई हैं।

c) आंतरिक प्रशिक्षण सुविधा, परीक्षण प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशाला, अनुसंधान एवं विकास (आर0 एण्ड डी0) केंद्र विकसित करने के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.5 करोड़ तक प्रति इकाई अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

d) स्टाफ क्वार्टर, वर्कर हॉस्टल/डॉरमेट्री के निर्माण के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 5 करोड़ की सीमा तक प्रति इकाई अनुदान प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

e) इस नीति के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के उद्देश्य हेतु भूमि की लागत को परियोजना लागत के हिस्से के रूप में नहीं माना जाएगा।

4.5 प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु ब्याज उपादान

a) वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों को भारत सरकार की **TUFS/ATUFS** स्कीम या भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित स्कीम में निर्धारित मानक के अनुसार पात्रता वाली प्लान्ट एवं मशीनरी पर ही ब्याज उपादान की सुविधा देय होगी।

b) प्लांट एवं मशीनरी हेतु इकाई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये वार्षिक ब्याज की कुल धनराशि का 60 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 07 वर्षों के लिये देय होगा।

c) गौतमबुद्धनगर जनपद को छोड़कर शेष प्रदेश की वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों हेतु ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रु. 1.5 करोड़ तक होगी। यह सीमा गौतमबुद्धनगर जनपद के लिए प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू0 75 लाख होगी।

4.6 ऊर्जा से सम्बन्धित प्रोत्साहन

a. नई वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों को 10 वर्षों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

b. नई वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों हेतु कैप्टिव पावर प्लांट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जायेगा जब इससे उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं किया जायें।

c. विद्युत विभाग के नियमों के अनुरूप एक निर्दिष्ट सीमा (threshold limit) से अधिक विद्युत की खपत करने वाले पार्कों/इकाइयों को विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार खुली पहुंच (open access) की अनुमति होगी।

d. विशेष रूप से बुंदेलखंड में अभिनव पद्धतियों, जैसे टाइम ऑफ द डे मीटरिंग और नवीकरणीय स्रोतों के दोहन से विद्युत दरों को कम करने के प्रयास किए जाएंगे।

e. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक बिजली की खपत करने वाली इकाईयाँ जो स्वतंत्र फीडर की सुविधा रखती हैं, चाहे उनके द्वारा भुगतान किया गया हो या नहीं, यथासंभव विद्युत कटौती के अधीन नहीं हैं। ऐसे स्वतंत्र फीडरों से कोई अन्य भार नहीं जोड़ा जाएगा।

4.7 रोजगार सृजन अनुदान

a) मेगा और सुपर मेगा इकाईया एंकर की भूमिका निभाती हैं एवं वे पूरे क्षेत्र में अग्रणी का कार्य करती हैं तथा छोटी सहायक इकाइयों के विस्तार करने एवं उनके आस पास के क्षेत्र के विकास के लिए नेतृत्व करती हैं। राज्य सरकार द्वारा ऐसी गारमेन्टिंग इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में रोगजार सृजन अनुदान दिया जायेगा।

b) मेगा एवं सुपर मेगा इकाईयाँ "प्लान्ट एवं मशीनरी पर निवेश" तथा "रोजगार सृजन" के आधार पर निम्नवत् मानदण्ड के अनुसार परिभाषित हैं:–

उद्योग का प्रकार	श्रेणी सम्बन्धी मानदण्ड	
	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल में	प्रदेश के अन्य भागों में
मेगा यूनिट	निवेशः रू0 50 करोड़ से 75 करोड़ तक अथवा रोजगारः न्यूनतम 500 (गारमेन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1000)	निवेश : रू0 75 करोड़ से 125 करोड़ तक अथवा रोजगारः न्यूनतम 750 (गारमेन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500)
सुपर मेगा यूनिट	निवेशः रू0 75 करोड़ से अधिक अथवा रोजगारः न्यूनतम 750 (गारमेन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 1500)	निवेशः रू0 125 करोड़ से अधिक अथवा रोजगारः न्यूनतम 1000 (गारमेन्टिंग इकाई के लिए न्यूनतम 2000)

c) गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर समस्त जनपदों में मेगा और सुपर मेगा गारमेन्टिंग इकाईयों को प्रति माह प्रति श्रमिक रु0 3200/– रोजगार सृजन सब्सिडी 05 वर्षों तक प्रदान की जायेगी।

d) रोजगार सृजन की सुविधा हेतु इकाई में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति ई0पी0एफ0 में नामांकित होना चाहिये तथा उसका वैध आधार संख्या होना चाहिए तथा इकाई द्वारा कार्मिक को वेतन भुगतान उसके बैंक खाते में डी0बी0टी0 द्वारा किया जा रहा हो।

e) रोजगार सृजन अनुदान की यह सुविधा प्राथमिक निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये उन गारमेन्टिंग इकाइयों को प्रदान की जायेगी जो संचयी रूप में पहली 15,000 सिलाई मशीन स्थापित करती हैं।

4.8 माल–भाड़ा प्रतिपूर्ति

a) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई गारमेन्टिंग इकाइयों को यह वित्तीय सुविधा इकाई से पोर्ट तक ले जाने हेतु कन्टेनर के माल–भाड़ा की धनराशि का 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक 5 वर्षों तक प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नानुसार प्रदान किया जायेगा।
शर्त यह होगी कि:– उ0प्र0 निर्यात नीति के अन्तर्गत इस मद में यह सुविधा प्राप्त करने वाली इकाईयों को वस्त्र एवं गारमेंटिंग पॉलिसी–2022 के अन्तर्गत माल भाड़ा प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। उ0प्र0 निर्यात नीति के अन्तर्गत अन्य मदों का लाभ इकाईयों को मिलेगा :–

75%	प्रथम दो वर्षों हेतु
50%	अगले दो वर्षों हेतु
25%	पांचवें वर्ष में

5. विपणन प्रोत्साहन

a. उत्तर प्रदेश के हथकरघा/पावरलूम बुनकरों द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं रेशम के वस्त्रों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में प्रति वर्ष चार विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। ऐसी प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने के लिए बुनकरों को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक प्रदर्शनी पर अनुमानित व्यय 50 लाख रुपये होगा।

b. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्थापित निर्यात संस्था अथवा वस्त्र सम्बन्धी कार्यक्रमों से सम्बन्धित ख्यातिप्राप्त/प्रतिष्ठित संस्था द्वारा देश में आयोजित 3 प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले बुनकरों, मास्टर वीवर, बुनकर सहकारी समितियों, हथकरघा/पावरलूम इकाईयों/वस्त्र इकाईयों (सूक्ष्म इकाईयॉ) को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। सरकारी अधिकारी/कर्मचारी भी सीखने/राज्य में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को सम्मिलित करने हेतु इन प्रदर्शनियों/कार्यक्रमों में भेजे जायेंगे। दो व्यक्तियों द्वारा किये गये कुल प्रतिभागिता व्यय का 90 प्रतिशत अनुदान प्रतिपूर्ति के आधार पर दिया जायेगा।

c. राज्य सरकार के विभागों एवं उनकी एजेंसियों द्वारा वर्दी, कंबल, अन्य वस्त्र उत्पाद जैसे साड़ी, ड्रेस मैटेरियल आदि सामान खरीदते समय उत्तर प्रदेश में हैंडलूम एवं पावरलूम निर्मित उत्पादों को वरीयता दी जाएगी।

d. राज्य सरकार बड़े भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों तथा खुदरा विक्रेताओं को उत्तर प्रदेश से स्रोत हेतु संवेदनशील बनाने का प्रयास करेगी ताकि राज्य में विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों को मजबूत बाजार संबंध प्रदान करने में मदद मिल सके।

6. पी0एम0 मित्र योजनान्तर्गत इकाईयों को विशेष प्रोत्साहन

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के पी.एम.मित्र पार्क में स्थापित सभी वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाइयों को प्राप्त वित्तीय सहायता के अलावा निम्नलिखित अन्य पात्र विशेष प्रोत्साहन इकाईयों को प्रदान किये जायेगे।

a. बिजली की खुली पहुंच - एसपीवी/मास्टर डेवलपर को बिजली की खुली पहुंच के लिए विद्युत रेग्यूलेशन एक्ट के अनुरूप अनुमति दी जाएगी।

b. ऊर्जा टैरिफ सब्सिडी – लाइसेंसी यूटिलिटी से बिजली की खरीद पर, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से 5 साल के लिए प्रति बिल यूनिट (किलोवाट) के लिए 2 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रु0 60 लाख तक होगी। शर्त यह है कि बिजली खरीद पर छूट प्राप्त करने वाली इकाईयों के द्वारा कम से कम 50 व्यक्तियों को सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जायेगा। अपने स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांट से खपत की गई बिजली या ओपन एक्सेस के माध्यम से खरीदी गई बिजली पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी।

c. स्टाम्प ड्यूटी –डेवलपर और प्लॉट के पहले खरीदार के लिए स्टांप शुल्क की 100 प्रतिशत छूट बैंक गारंटी (एफ0डी0आर0) के विरूद्ध प्रदान की जायेगी।

7. निजी टेक्सटाइल पार्को हेतु अनुदान

a) सरकार इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) तथा प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ न्यूनतम 25 एकड़ भूमि के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) रीति में एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क के विकास को बढ़ावा देगी।

b) उत्तर प्रदेश सरकार परियोजना लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) के 50 प्रतिशत, अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार यथा आवश्यक पार्क को जोड़ने वाली मौजूदा सड़क को मजबूत करेगी एवं आवश्यक विद्युत लाइन तथा अलग से विद्युत फीडर एवं ट्रांसफॉर्मर/विद्युत उपकेन्द्र की व्यवस्था की जाएगी।

c) निजी वस्त्र एवं परिधान पार्क के विकासकर्ता द्वारा राज्य में (गौतमबुद्ध नगर जिले को छोड़कर) भूमि क्रय करने पर बैंक गारंटी (एफ0डी0आर0) के विरूद्ध स्टाम्प शुल्क की शत–प्रतिशत छूट के पात्र होंगे। इन टेक्सटाइल और अपैरल पार्क में स्थापित इकाइयों/भूखण्ड के प्रथम खरीददार भी स्टाम्प ड्यूटी की 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

d) इस पार्क में कम से कम 10 वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयां स्थापित होनी चाहिए तथा किसी भी एक इकाई को कुल उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक भूमि आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित करने पर विकासकर्ता/निवेशक को प्रोत्साहन राशि निम्नवत् तालिका के अनुसार 3 (तीन) किस्तों में देय होगी : –

कुल उपलब्ध क्षेत्र में इकाइयों का आवंटन (प्रतिशत में)	प्रोत्साहन राशि जारी करने का प्रतिशत
इकाइयों को 25 प्रतिशत क्षेत्र आवंटन	पात्र प्रोत्साहन राशि का 40 प्रतिशत
इकाइयों को 50 प्रतिशत क्षेत्र आवंटन	पात्र प्रोत्साहन राशि का 40 प्रतिशत
इकाइयों को 100 प्रतिशत क्षेत्र आवंटन	पात्र प्रोत्साहन राशि का 20 प्रतिशत

8. रेशम उद्योग को प्रोत्साहन हेतु अनुदान

a. रेशम उत्पादन क्षेत्र में चाकी कीट पालन, कोया उत्पादन, रीलिंग और कताई से सम्बन्धित, अधिकतम एक करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने वाली इकाइयां बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने पर मार्जिन मनी के रुप में 15 प्रतिशत पूंजीगत उपादान हेतु पात्र होंगी। बैंक द्वारा किये गये परियोजना लागत के मूल्यांकन के आधार पर मार्जिन मनी की गणना की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के मामले में यह अनुदान 20 प्रतिशत होगा।

b. एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के पूंजी निवेश करने वाली रेशम रीलिंग इकाइयों को 20 प्रतिशत पूंजीगत उपादान दिया जायेगा। यह वित्तीय सुविधा केंद्रीय रेशम बोर्ड जैसे भारत सरकार के संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त होगी।

c. उप खंड ए) और बी) के अन्तर्गत सब्सिडी भारत सरकार या सी.एस.बी. की योजनाओं में राज्य सरकार के अंश के अतिरिक्त होगी।

d. कार्यशील पूंजी सब्सिडी: उत्तर प्रदेश में उत्पादित कोया से न्यूनतम 75 प्रतिशत धागे का उत्पादन करने वाली रेशम रीलिंग इकाइयां कार्यशील पूंजी हेतु लिये गये ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्षो तक ब्याज उपादान (कार्यशील पूँजी सबिसडी) हेतु पात्र होंगी। कार्यशील पूंजी सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति इकाई होगी।

9. प्रदेश के युवाओं/युवतियों को नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधाएं

a) उ0प्र0 के निवासी/निवासियों (युवाओं एवं युवतियों) को स्वरोजगार के प्रति आकर्षित कर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में उत्पादन, डिजाइन विपणन या निर्यात से सम्बन्धित नया रोजगार शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। यह विशेष सुविधा 35 वर्ष से अनधिक उम्र के युवाओं/युवतियों को उपलब्ध होगी।

b) उत्पादन क्षेत्र से सम्बन्धित नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधायें :–

i. प्रदेश के निवासी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यदि प्रदेश में अपना टेक्सटाइल से सम्बन्धित नया रोजगार प्रारम्भ किया जाता है तो उन्हें निम्नवत् विवरण के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

ii. नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु यूपीसीडा, गीडा, नोयडा, ग्रेटर नोयडा या अन्य प्राधिकरणों से भूमि खरीद करता है तो उसे वरीयता प्रदान की जायेगी।

iii. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ हैण्डलूम टेक्नोलाजी (आई0आई0एच0टी) से तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं जो एक शेड में 5 से 20 हथकरघा अथवा 5 से 10 पावरलूम की स्थापना करके स्वयं के बुनाई का नया रोजगार प्रारम्भ करते हैं, तो उन्हें प्रोजेक्ट कास्ट का 75 प्रतिशत अनुदान देय होगा। यह अनुदान हथकरघा क्षेत्र हेतु अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख प्रति व्यक्ति/समूह तक सीमित होगी तथा पावरलूम क्षेत्र हेतु अधिकतम सीमा रूपये 60 लाख प्रति व्यक्ति/समूह तक सीमित होगी।

iv. टेक्सटाइल, टेक्सटाइल डिजाइन या फैशन डिजाइन के क्षेत्र में स्नातक उत्तीर्ण को गारमेन्टिंग एवं अपैरेल या होम फर्नीशिंग क्षेत्र में रोजगार प्रारम्भ करने हेतु निम्नानुसार प्रोत्साहित किया जायेगा।

- प्राधिकरणों या अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित किये गए फ्लैटेड फैक्ट्री के किराये पर 50 प्रतिशत् अनुदान 5 वर्ष तक दिया जायेगा।
- इस क्षेत्र में नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु स्थापित प्लांट एवं मशीनरी तथा अवस्थापना लागत का 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रूपये 25 लाख अनुदान प्रति उद्यमी देय होगा।

c) डिजाइन क्षेत्र से सम्बन्धित नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधायें :-

i. टेक्सटाइल डिजाइन या फैशन डिजाइन या फैशन ब्रांडिग/मार्केटिंग में स्नातक उत्तीर्ण यदि आधुनिक सुविधाओं के साथ नये रोजगार के रूप में कोई डिजाइन स्टूडियो स्थापित करना चाहते है, तो उन्हें प्रोजेक्ट कास्ट का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 30 लाख प्रति उद्यमी अनुदान देय होगा।

d) विपणन क्षेत्र से सम्बन्धित नया रोजगार प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सुविधायें :-

i. प्रदेश के निवासी युवा/युवतियां जो संगठित होकर वस्त्रों की विक्री को बढाने हेतु सभी प्रकार की विपणन व्यवस्था के साथ ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था करने हेतु मार्केटिंग कम्पनी बनाकर अपना नया रोजगार प्रारम्भ करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु मार्केटिंग कम्पनी के पंजीकरण कराने एवं उसे स्थापित करने हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं पर आने वाली लागत का 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रूपये 50 लाख प्रति कम्पनी देय होगा। इस कार्य में प्रोत्साहन हेतु बुनकरों के बच्चों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

ii. प्रदेश के युवा/युवतियां द्वारा बनायी गयी कम्पनी मार्केटिंग के अंतर्गत अपना ब्राण्ड बनाकर उसका चेन आउटलेट खोलता है, तो उसे निम्नानुसार वित्तीय सहायता देय होगी :-

- प्रदेश या प्रदेश के बाहर 50 आऊटलेट खोलने पर रू0 2 करोड़ वित्तीय सहायता देय होगी, शर्त यह है कि तीन वर्ष तक सभी आउटलेट से बिक्री हुई हो एवं प्रति वर्ष रू0 4 करोड़ की बिक्री की गयी हो।
- प्रदेश या प्रदेश के बाहर 100 आऊटलेट खोलने पर रू0 4 करोड़ वित्तीय सहायता देय होगी, शर्त यह है कि तीन वर्ष तक सभी आउटलेट बिक्री हुई हो एवं प्रति वर्ष रू0 8 करोड़ की बिक्री की गयी हो।
- प्रदेश या प्रदेश के बाहर 200 आऊटलेट खोलने पर रू0 8 करोड़ वित्तीय सहायता देय होगी, शर्त यह है कि तीन वर्ष तक सभी आउटलेट बिक्री हुई हो एवं प्रति वर्ष रू0 16 करोड़ की बिक्री की गयी हो।
- प्रदेश या प्रदेश के बाहर 500 आऊटलेट खोलने पर रू0 10 करोड़ वित्तीय सहायता देय होगी, शर्त यह है कि तीन वर्ष तक सभी आउटलेट बिक्री हुई हो एवं प्रति वर्ष रू0 20 करोड़ की बिक्री की गयी हो।

शर्त यह है कि निर्धारित आऊटलेट की संख्या का 80 प्रतिशत आऊटलेट प्रदेश के बाहर स्थापित किया गया हो। इसके अतिरिक्त यदि देश के बाहर 25 आऊटलेट खोलता है तथा उससे कम से कम रू0 2 करोड़ प्रतिवर्ष की बिक्री करता है तो उसे रू0 2.00 करोड़ अनुदान अतिरिक्त देय होगा।

e) निर्यात हेतु वित्तीय सुविधायें :-

i. प्रदेश में बने वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु यदि कोई युवा/युवतियां प्रदेश में नया एक्सपोर्ट हाउस या कम्पनी प्रारम्भ करना चाहता है तो उसे पंजीकरण आदि में लगने वाले शुल्क का 75

प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं हेतु परियोजना लागत का 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रूपये 20 लाख प्रति एक्सपोर्ट हाउस/कम्पनी देय होगा।

f) बायर–सेलर मीट/क्रेता–विक्रेता संगम :–

i. प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक वर्ष में दो बायर–सेलर मीट, एक प्रदेश के पश्चिमी एवं एक पूर्वी क्षेत्र में आयोजन कराया जायेगा। जिसके अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था आदि हेतु अधिकतम रू0 20 लाख प्रति बायर–सेलर मीट व्यय किया जायेगा।

ii. निर्यात से सम्बन्धित संस्था यदि अपने स्तर से कोई बायर–सेलर मीट आयोजित कराना चाहती है, तो उसके लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 10 लाख प्रति बायर–सेलर मीट हेतु अनुदान/प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा।

g) फैशन शो का आयोजन–

i. प्रदेश के वस्त्रों के निर्यात/विपणन को बढ़ावा देने, प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से प्रदेश में विभाग/संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश के दो बड़े महानगरों में फैशन–शो आयोजित कराया जायेगा। जिसके अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था आदि हेतु अधिकतम रू0 20 लाख प्रति फैशन शो में व्यय किया जायेगा।

h) निर्यात मेले या एक्सपो का आयोजन–

i. प्रदेश या देश के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रो में वर्ष में एक बार हैण्डलूम, सिल्क, खादी एवं अन्य टेक्सटाइल उत्पादों की 14 दिवसीय उ0प्र0 हैण्डलूम, सिल्क एवं खादी एक्सपो का आयोजन कराया जायेगा, जिसकी व्यवस्था एवं प्रचार–प्रसार पर रू0 70 लाख व्यय किया जायेगा।

10. ईज ऑफ डूइंग बिजनेसः–

1 –प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चरः

वस्त्र एवं परिधान उद्योग की प्रारंभिक लागत को कम करने, गुणवत्ता बढ़ाने एवं उन्हें समग्र प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्लग एंड प्ले सुविधाएं तथा फ्लैटेड कारखानों के विकास के माध्यम से क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा दिया जायेगा। ये प्लग एंड प्ले सुविधाएं उद्योगों को किराये/अल्पावधि के पट्टे पर दी जाएंगी ताकि निवेशकों के अग्रिम निवेश को कम किया जा सके एवं उन्हें प्रौद्योगिकी में अधिक पूंजी निवेश करने में मदद मिल सके।

2–समस्या निवारण प्रणालीः

निवेशकों से प्राप्त सभी प्रकार की समस्यायों के निवारण के लिए दो–स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा समस्यायों की मासिक समीक्षा की जाएगी। निवेशक अपनी समस्या निर्धारित वेबसाइट/पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। निवेशकों द्वारा की गई समस्याओं को युक्त संगत पाये जाने पर प्राथमिक स्तर की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा किया जायेगा। यदि उक्त समस्या का निवारण प्राथमिक स्तर की समिति के स्तर पर सम्भव नही है, तो इस प्रकरण को शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

3–एकीकृत प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणालीः

इस नीति के अंतर्गत किये गए निवेश हेतु पेपर लेस आवेदन स्वीकार करने तथा समयबद्ध तरीके से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने एवं प्रोत्साहनों के संवितरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित सुनिश्चित किये जाने के लिए एकीकृत प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली (ऑनलाइन पोर्टल) विकसित किया जायेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निवेशक वास्तविक समय पर अपने प्रस्तावों की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा पात्र प्रोत्साहन धनराशि के प्रस्ताव पर स्वीकृति दिये जाने के बाद प्रोत्साहन धनराशि यथाशीघ्र वितरित किए जाएंगे।

4–समर्पित निवेशक हेल्पडेस्क :

निवेशकों को नीतिगत सुविधाओं एवं उनके प्रश्नों के साथ हैंडहोल्ड करने, उनकी निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने एवं प्रत्येक स्तर पर निवेशकों को समर्थन देने के लिए एक समर्पित टीम का गठन किया जायेगा।

5–एंकर इकाइयों को आकर्षित करनाः

राज्य में निवेश के अपार अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों पर रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इन रोड शो के माध्यम से राज्य में बड़े टेक्सटाइल प्लेयर को आमंत्रित किया जाएगा जो टेक्सटाइल पार्कों के लिए एंकर इकाइयों के रूप में कार्य करेंगे।

11. परियोजना प्रबन्धक एजेन्सी

नीति के कियान्वयन तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, ब्रांडों एवं अन्य हितधारकों के मध्य नीति के लाभों को प्रचारित करने में विभाग की सहायता करने के लिए तथा निवेशकों को तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी.एम.ए.) के रूप में एक अनुभवी टीम नियुक्त की जायेगी। पी.एम.ए. द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन किया जायेगा :–

- राज्य सरकार के साथ हैण्ड होल्डिंग –वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति के प्रभावी एवं सुगम संचालन के लिए पी.एम.ए राज्य सरकार को नियम बनाने/वैधानिक संशोधन करने और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता करेगी।
- विपणन के अनुषांगिक सामग्री का विकास– परियोजना प्रबन्धक एजेन्सी (PMA) उत्तर प्रदेश में निवेश के लाभों को उजागर करने वाली विपणन सामग्री जैसे ब्रोशर, फ्लायर्स, आदि विकसित करेगी। इसके लिए भावी निवेशकों को अलग अलग विभिन्न भौगोलिक स्थानों तथा मूल्य श्रंखला (फाइबर से अन्तिम उत्पाद) के अलग–अलग हिस्सों के भावी निवेशक हेतु विशिष्ट रूप से निर्मित करने की आवश्यकता होगी।
- राज्य नीति की सूचनाओं का प्रसार–पी.एम.ए नीति में मौजूद सहायता के प्रचार–प्रसार हेतु रोड शो/कार्यशालाओं/सेमिनार/मीडिया अभियान आदि के आयोजन में राज्य सरकार को सहयोग करेगी। यह कार्य सम्बन्धित स्टेक होल्डरों को नीति में की गयी पहल के प्रति प्रेरित करने एवं उपलब्ध उपायों और समर्थन के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से किया जायेगा। उ0प्र0 में निवेश को बढावा देने के लिए पी.एम.ए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र के कार्यक्रमों (events) में भागीदारी सुनिश्चित कर समर्थन प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगी।
- संभावित निवेशकों की पहचान करना:– पी.एम.ए उ0प्र0 में निवेश करने वाले भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए संभावित क्षमतावान निवेशकों की पहचान करेगी। भारतीय के साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्पूर्ण वस्त्र निर्माण मूल्य श्रंखला जैसे स्पन यार्न, बुनाई, निटिंग, नानवोवेंस, प्रोसेसिग, गारमेन्ट, मेड–अप्स, और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में निवेश एवं कार्य करने हेतु तत्पर हैं। इसमें गारमेन्ट सामान के साथ–साथ सहायक सामग्री वाले क्षेत्र भी शामिल किये जायेंगे।
- भावी निवेशकों के साथ समन्वय स्थापित करना:– पी.एम.ए. निवेशकों से अलग–अलग मिलकर बाजार में निवेश के अवसर के बारे में जानकारी देगी। जो निवेशक उ0प्र0 में निवेश को इच्छुक होंगे, उनसे बिजनेस मीटिंग एवं निवेशक विजिट में समन्वय एवं सहयोग प्रदान करेंगे तथा उसका फालो–अप भी करेंगे। भावी निवेशकों द्वारा उठाये गये सवालों के जवाब प्रेषित करने में पी.एम.ए. उ0प्र0 सरकार को सहायता प्रदान करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रदेश में निवेश आये।
- विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव के संग्रहण में सहायता :– पी.एम.ए. नीति के अन्तर्गत पात्र प्रस्तावों के आवेदन मांगने हेतु, उसकी बारीकी से जाँच करने एवं त्वरित कार्यवाही हेतु प्रेरित करने में राज्य सरकार को सहायता करेगी। पी.एम.ए. निवेशकों को प्रस्ताव बनाने एवं उनके कागजात पूर्ण करने में भी सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगी।
- तकनीकी औचित्य रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं समीक्षा तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) :– पी.एम.ए. निवेशकों द्वारा जमा की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन एवं तथा तकनीकी औचित्य के आधार पर चयन करने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेगी।
- अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन :– पी.एम.ए. अनुमोदित प्रोजेक्टों के नियतकालिक उन्नति प्रतिवेदन एवं इन प्रोजेक्टों के प्रभावों के अनुश्रवण में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेगी।

2– उपर्युक्त उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी–2022 में समय की आवश्यकता के अनुरूप किसी प्रकार का संशोधन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा। अतः उक्तानुसार उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग पालिसी–2022 का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
17.10.22

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/63–व0उ0–2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट–प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश।

2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।

3– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।

4– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

5– सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

6– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

7– निदेशक; भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, (आई0आई0एच0टी0), चौकाघाट, वाराणसी।

8– निदेशक, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

9– आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।

10– स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषमणि पाण्डेय) 17/10/22

विशेष सचिव।